न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 124/2017 ::

अपीलांटगण :–
1. मोड़सिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत
2. देवीसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत
के कायम मुकाम
2/1. तुलसीकंवर बेवा देवीसिंह
2/2. जगुसिंह पुत्र देवीसिंह(नाबालिग)
2/3. परबतसिंह पुत्र देवीसिंह
(नाबालिग)
2/2 एवं 2/3 नाबालिग जरिये कुदरती
वली माता तुलसी कंवर बेवा देवीसिंह
तमाम जातिगण राजपूत निवासगण
बांकली तहसील सुमेरपुर जिला पाली
(राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :–
1. मोड़सिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत
2. देवीसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत
निवासीगण बांकली, तहसील सुमेरपुर जिला
पाली (राज.)
3. तहसीलदार, सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अधिवक्ता अपीलाण्टगण श्री मो. शरीफ काजी
अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 श्री खंगारराम पटेल

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 14-01-19

अपीलांटगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मौजा बांकली पटवार हल्का बांकली के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 02.06.1993 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किये गये। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि ग्राम बांकली पटवार हल्का बांकली तहसील सुमेरपुर में स्थित खसरा नम्बर 821, 822, 823, 826 व 828 कुल रकबा 2.30 हैक्टयर भूमि में अपीलाण्टगण व स्व. मानसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत का खातेदारी हिस्सा बराबर–बराबर आता था। उक्त आराजी में से मानसिंह पुत्र जालमसिंह ने 1/4 हिस्सा बेचान कर दिया तथा शेष 1/4 हिस्से को जरिये हकतर्कनामे के दिनांक 02.01.1989 को उप पंजीयक सुमेरपुर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 28 के पृष्ठ संख्या 105 पर दिनांक 03.01.1989 को पंजीबद्ध करवाकर अपीलाण्टगण के हक में हकतर्क किया था तथा उसी दिवस से उक्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त बदस्तूर जारी है। रेस्पोडेण्टगण ने हल्का पटवारी से मिलावट करते हुए बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए, बिना सुनवाई किए, बिना जॉच किए उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 402 मानसिंह पुत्र जालमसिंह के देहान्त होने से पूर्व ही दिनांक 12.06.1993 को भरवा दिया, जबकि मानसिंह पुत्र जालमसिंह का देहान्त दिनांक 20.04.1995 को हुआ था, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के निधन होने से पूर्व उसका फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया जाना विधी विरूद्ध है। मृतक मानसिंह पुत्र जालमसिंह द्वारा अपनी सम्पती का हकतर्क अपने सहखातेदारों के नाम अपने जीवनकाल में

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

ही कर दिए जाने से उस सम्पती का नामान्तरकरण या तो उनकी मृत्यु पश्चात अपीलाण्टगण के हक में दर्ज किया जाना चाहिए था या अपीलाण्टगण के प्रार्थना पत्र पर उनके नाम दर्ज किया जाना चाहिए था, जबकि हल्का पटवारी ने दोनों ही प्रक्रिया नहीं अपनाते हुए मानसिंह पुत्र जालमसिंह की मृत्यु होने से लगभग दो वर्ष पूर्व ही रेस्पोडेण्टगण के नाम दर्ज कर दिया जो काबिल निरस्त है। पटवारी हल्का द्वारा फौतेदगी नामान्तरकरण भरने से पूर्व विधीवत जांच करनी चाहिए थी। जो कि पटवारी हल्का द्वारा नहीं कर भारी विधिक भूल की है। अपीलाण्टगण द्वारा दिनांक 22.07.2009 को तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र हकतर्कनामें के आधार पर उनके हक में नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु पेश किया है। जिस पर भी तहसीलदार सुमेरपुर ने नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया। अपीलाण्टगण को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर दिनांक 29.06.2010 को हल्का पटवारी से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई, तब अपीलाण्टगण ने जरिये अधिवक्ता अपील श्रीमान के समक्ष पेश की, ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण आधारहीन एवं प्रारम्भ से शुन्य होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि रेस्पोडेण्टगण के पिता मानसिंह पुत्र जालमसिंह के ग्राम बांकली पटवार हल्का बांकली तहसील सुमेरपुर में स्थित खसरा नम्बर 821, 822, 823, 826 व 828 कुल रकबा 2.30 हैक्टयर खातेदारी भूमि स्थित थी। जिसका उनके देहान्त पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 402 पटवारी हल्का बांकली द्वारा उनके पुत्रों एवं पत्नी के नाम भरा जाकर पारित करवाया गया। जैर अपील आराजी पर उनके पिता मानसिंह के जीवनकाल में उनका व उनकी मृत्यु पश्चात से रेस्पोडेण्टगण का कब्जा काश्त कायम है। अपीलण्टगण द्वारा प्रस्तुत हकतर्कनामा उनके पक्ष में दिनांक 03.02.1989 को निस्पादित किया गया है तथा अपीलाण्टगण उक्त हकतर्कनामे के आधार पर उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु उसके लगभग 20 वर्ष पश्चात तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष दिनांक 22.07.2009 को प्रार्थना पत्र के साथ पेश करना जाहिर किया है तथा इस दिनांक तक तो मानसिंह पुत्र जालमसिंह की मृत्यु हुए भी लगभग 16 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इतने लम्बे समयान्तराल के पश्चात इस हकतर्कनामे के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलाण्टगण द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जाना मात्र रेस्पोडेण्टगण की आराजी को हड़पने की नियत परिलक्षित होती है। अपीलाण्टगण द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृति के 17 वर्ष पश्चात अपील पेश की है, जिसके विलम्ब बाबत किसी प्रकार का सन्तोषपूर्ण कारण स्पष्ट नहीं किये जाने से यह अपील स्पष्ट रूप से म्याद गुजरने के पश्चात पेश की गई है तथा उक्त विलम्ब का न्यायोचित कारण स्पष्ट नहीं किया है। जबकि अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमों में अंकित किया है कि उसे दिनांक 29.06.2010 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हो गई थी, इसके बावजूद भी अपील दिनांक 28.10.2010 को लगभग चार माह पश्चात पेश की गई है। इसप्रकार अपील अन्दर म्याद नहीं होने से भी खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील पेश करने में हुई देरी के संबंध में कोई न्यायोचित कारण उल्लेखित नहीं किया है, लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण का जैर अपील आराजी से संबंधित हक अधिकारों प्रश्न होन से इसके गुणावगुण पर विवेचन किया जाना आवश्यक होने से अपील अन्दर म्याद

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

शुमार की जाती है। ग्राम बांकली पटवार हल्का बांकली तहसील सुमेरपुर में स्थित खसरा नम्बर 821, 822, 823, 826 व 828 कुल रकबा 2.30 हैक्टयर भूमि में अपीलाण्टगण को 1/2 हिस्सा एवं स्व. मानसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत का 1/2 हिस्सा दर्ज था। उस में से अपने हिस्से की भूमि का आधा भाग अर्थात कुल आराजी का 1/4 भाग स्व. मानसिंह पुत्र जालमसिंह द्वारा बेचाण कर दिया था तथा कुल आराजी का शेष 1/4 हिस्सा उसकी खातेदारी में रहा, जिसका हकतर्कनामा स्व. मानसिंह द्वारा अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में उप पंजीयक सुमेरपुर में निस्पादित करवा दिया, जो उक्त दस्तावेज का निस्पादन दिनांक 03.01.1989 को किया जाना स्पष्ट है एवं स्व. मानसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र से उसकी मृत्यु दिनांक 20 अप्रेल 1995 को होना स्पष्ट है तथा मानसिंह के फौत होने पर जैर अपील फौतेदगी नामान्तरकरण दिनांक 02.06.1993 को नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, जो मूल नामान्तरकरण से स्पष्ट है। इस प्रकार मानसिंह के फौत होने से दो वर्ष पूर्व ही फौतेदगी नामान्तरकरण भरा गया, जो विधी विरूद्ध होने से स्पष्ट रूप से खारिज योग्य है। अपीलाण्टगण द्वारा हकतर्कनामा निस्पादित होने के पश्चात मानसिंह के जीते जी पांच वर्ष की अवधि में भी तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष प्रस्तुत कर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करवाया गया तथा स्व. मानसिंह की मृत्यु हो जाने एवं मानसिंह के वारिशान के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत होने के 17 वर्ष पश्चात नामान्तरकरण की अपील के जरिये अपीलाण्टगण हकतर्कनामे के आधार पर अपने अधिकारों के लिए अनुतोष प्राप्त करना चाहता है। जो न्यायोचित नहीं है। जिसका उचित उपचार अपीलाण्टगण द्वारा सक्षम न्यायालय में अपने हक अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करना है। जिसके लिए वह स्वतंत्र है। नामान्तरकरण अपील की आड़ में हकतर्कनामे के आधार पर हक अधिकारों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 402 स्वीकृति आदेश दिनांक 02.06.1993 को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार सुमेरपुर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार विवेचित तथ्यों के आधार पर बाद जांच एवं सुनवाई कर विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए, नामान्तरकरण स्वीकृति की कार्यवाही करे। तहसीलदार सुमेरपुर के मूल रेकर्ड के साथ निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14-1-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर
पाली (राज.)
14/1/19